मानसून सत्र

उरला-सिलतरा के 22 उद्योगों ने जमीन सरेंडर की

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 29 जुलाई। उद्योग मंत्री दयालदास बघेल ने विधानसभा में बताया कि ढाई वर्षों में उरला एवं सिलतरा क्षेत्र में उद्योग के लिए आबंटित 22 इकाइयों ने अपनी जमीन सरेंडर कर दी है। इनमें से ज्यादातर जमीन दूसरे उद्योगों को आबंटित कर दी गई है।

भाजपा सदस्य देवजीभाई पटेल के प्रश्नों के लिखित जवाब में श्री बघेल ने बताया कि एक जनवरी 2008 से 30 जून 2010 तक जिन इकाइयों ने जमीन सरेंडर की है उनमें गोंडवाना पॉवर लिमिटेड (अरविंद नेताम) ने 19.37 एकड़ जमीन 24 अगस्त 2008 को समर्पित की। 23 सितंबर 2008 को यह जमीन मेसर्स सुपर ग्लोबल लिमिटेड (जगदीश सिंह सैनी) को आबंटित कर दी गई है। यह मामला अभी हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इसी तरह किंटेक फ्लेक्सो (जितेन्द्र कुमार अग्रवाल) की जमीन निकिता मेटाकेम को भारत बिल्डकाम की जमीन सूर्योदय वायर्स, बी.के. जी इस्पात की जमीन एरिस्ट्रो ट्रांसमिशन को आबंटित की गई है।

हरिंदर सिंह भाटिया की जमीन वीसी ग्रुप को, राजश्री प्लास्टिक की जमीन को रोचक सोया, राघव इस्पात की जमीन हीरा फेरो एलायज, बीडब्ल्यूएल केबल की जमीन विजन टेक्सटाइल्स, सुमीत बेसन की जमीन गणपति इंडस्ट्रीज, अग्रसेन इस्पात की जमीन गणपति इस्पात, छत्तीसगढ़ मिनरल्स की जमीन लिंगराजा मिनरल्स, बीडब्ल्यूएल की जमीन मनीष फोर्जिंग, बाहूबली इंडस्ट्रीज की जमीन अल्ट्रा एल्यूमिनियम, त्रिदेव इस्पात की जमीन आर.के. फेब्रिकेशन, सौरव फ्रेंकसिस की जमीन रायपुर फोरजिंग, साईं ट्रांसफार्मर की श्रीजी पालिमर्स, महाकौशल इस्पात की डीडीएस कास्टिंग अमृत इंड. की अमित स्टील, वैशाली इंड की बीएस प्लास्टिक, ओरिएंटल मेटकेम की वीरांगना प्रिंटर्स को आबंटित हुई है। इसके अलावा सोफिया इंडस्ट्रीज और सत्या फायबर ने भी जमीन सरेंडर कर दी है। इनकी जमीन आबंटन प्रक्रियाधीन है।

7 उद्योगों पर सवा 4 करोड़ पानी टैक्स बकाया

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 29 जुलाई। जल संसाधन मंत्री हेमचंद यादव ने बताया कि रायगढ़ जिले के 7 उद्योगों पर जलकर का 4 करोड़ 18 लाख रुपए का बकाया है। इनमें 6 उद्योगों को अधिभार सहित बकाया पटाने के लिए बिल जारी किया गया है। एक उद्योग ने हाईकोर्ट में मामला दायर कर दिया है।

कांग्रेस सदस्य डॉ. शक्राजीत नायक के प्रश्नों के लिखित जवाब में श्री यादव ने बताया कि जिन उद्योगों पर जलकर बकाया है उनमें इंडसिनर्जी कोटमार पर 3 करोड़ 21 लाख, एमएसपी स्टील जामगांव पर 36 लाख 71 हजार, शिवाशक्ति स्टील चक्रधरपुर पर 5 लाख 77 हजार, एमएसपी स्पंज आयरन मनुआपाली पर 5 लाख 2 हजार, अंजनी स्टील एंड पावर लिमिटेड पर 49 लाख 7 हजार, रामेश्वरम स्टील बड़े गुमड़ा पर 33 हजार 4 सौ, स्केनिया स्टील लिमिटेड पर 17 हजार 8 सौ शामिल हैं। इनमें इंडसिनर्जी ने हाईकोर्ट में मामला दायर कर रखा है।

ध्रुपद ही है वास्तव में शास्त्रीय संगीत

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 29 जुलाई। ध्रुपद ही शास्त्रीय संगीत है। इस नाते से इसके लुप्त होने की आशंका नहीं है लेकिन इसके फलने-फूलने के लिए शासकीय संरक्षण की जरूरत है, ये कहना है ध्रुपद गायक अफजल हुसैन का। पावस प्रसंग में शामिल भोपाल के अफजल हुसैन ने छत्तीसगढ़ से हुई मुलाकात के दौरान स्वीकार किया कि 80 के दशक के पूर्व ध्रुपद 'डागर' और 'मलिक' घराने तक समिति हो गया था। लेकिन ध्रुपद के संवर्धन के लिए म.प्र. शासन के प्रयास के बाद ध्रुपद गानेवालों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है।

अफजल हुसैन कहते है कि दरअसल ध्रुपद को लोगों ने हौव्वा बना रखा है। इसके विषय में लोगों की भ्रामक धारणा है कि इसमें आठ भैंसों की ताकत लगती है। सच तो ये है कि ध्रुपद ही शास्त्रीय गायन है और शास्त्रों में शास्त्रीय संगीत के रूप में इसका ही उल्लेख है। ध्रुपद में राग की प्रस्तुति न सिर्फ बेहतर बल्कि संपूर्ण रूप से होती है। सामवेद से उपजी इस गायिकी को मानसिंह तोमर के काल में ऊँचाई प्राप्त हुई। ध्रुपद गायिकी में सभी रसों की अभिव्यक्ति संभव है।

म.प्र. सरकार द्वारा वर्ष 1981 में शुरू की गई स्कॉलरशिप के तहत गुरू-शिष्य परम्परा में ध्रुपद की साधना करने वाले अफजल हुसैन का मनना है कि महाविद्यालयीन शिक्षा से श्रोता जरूर तैयार होते हैं, लेकिन 'कलाकार' गुरू-शिष्य परम्परा के तहत ही तैयार होते हैं।

संगीत के माध्यम से जीवनयापन को नामुमकिन मानने वाले अफजल हुसैन कहते है संगीत के खास मुकाम तक पहुंचने के बाद ये सही है कि एक संगीतकार को सब कुछ हासिल हो जाता है, लेकिन उस स्तर तक पहुंचने के लिए धैर्य की जरूरत होती है। शासकीय सरपंच के हिमायती ध्रुपद गायक कहते है- उदयपुर के दरबार में संगीतज्ञों का न सिर्फ मान सम्मान था।

39 पंचायत सचिवों ने डकारे डेढ़ करोड़

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 29 जुलाई। 39 पंचायत सचिवों ने एक करोड़ 60 लाख से ज्यादा की राशि की गड़बड़ी की है। इस मामले में एक पंचायत सचिव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और दो को निलंबित कर दिया गया है। शेष के खिलाफ पंचायत एक्ट के तहत एडीएम कोर्ट में मामले दायर किए गए हैं।

पंचायत मंत्री रामविचार नेताम ने कांग्रेस सदस्य धर्मजीत सिंह के प्रश्नों के लिखित जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने स्वीकार किया कि बिलासपुर जिले के लोरमी जनपद पंचायत के 39 ग्राम पंचायत सचिवों पर एक करोड़ 60 लाख 50 हजार से ज्यादा की आर्थिक अनियमितता के आरोप हैं। इनमें साहूकार पात्रे के खिलाफ पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। राजेन्द्र लूनिया एवं श्याम कार्तिक जायसवाल को निलंबित किया गया है। तथा शेष सचिवों के खिलाफ एडीएम लोरमी के न्यायालय में प्रकरण प्रचलन में है।

जिन अन्य सचिवों पर आरोप है उनमें लाल बहादुर, अजीत धृतलहरे, टेकलाल साहू, ओमनारायण तिवारी, चंद्रप्रकाश पात्रो, विरेन्द्र कोसले, छांगन सिंह बंजारा, सुरेश कुमार खांडेकर, साहूकार पात्रो, संतोष कुमार खुंटे, शत्रुहन लाल डडसेना, राजेन्द्र लूनिया, भागवत मिरे, बालकृष्ण शर्मा, ढाल सिंह भार्गव, श्याम कार्तिक जायसवाल, ध्रुव लाल बर्मन, अश्वनी कुमाल साहू, जगदीश कुमार लुनिया, वीरेन्द्र कोसले, राजेन्द्र कुमार नवरंग, लिखनदास, गिरीजा शंकर जोगी, मेसराम बर्मन, कपिल सिंह राजपूत, येन कुमार बर्मन, भूषण साहू, शिवप्रसाद राय, अर्जुनदास काटले, वीरेन्द्र कोसले, मनमोहन श्याम, शरद सोनी, राजेन्द्र कुमार मरावी, सिद्धराम जोशी, बालकृष्ण शर्मा, भूलसिंह राज, शेरदास, श्री दुर्गा आदि शामिल हैं।

रोजगार गारंटी में भी 46 सड़कें घटिया बनीं

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 29 जुलाई। पंचायत मंत्री रामविचार नेताम ने स्वीकार किया कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत निर्मित सड़कों के गुणवत्ता विहीन होने की कुल 128 शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं। इनमें जांच के बाद 46 शिकायतें सही पाई गई हैं।

कांग्रेस विधायक रूद्र कुमार गुरु द्वारा पूछे गए प्रश्नों के लिखित जवाब में मंत्री श्री नेताम ने बताया कि दुर्ग जिले में 2 में से एक शिकायत सही पाई गई। इस मामले में ग्राम पंचायत जगन्नाथपुर के सरपंच /सचिव एवं तकनीकी सहायक को नोटिस जारी किए गए हैं। राजनांदगांव में 9 शिकायत मिली थी इसमें एक शिकायत जांच में प्रक्रियाधीन है। सरगुजा के 25 में से कोई भी शिकायत सही नहीं पाई गई। दंतेवाड़ा में दोनों शिकायतें सही पाई गई। इसमें दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर के द्वारा सीईओ दंतेवाड़ा को पुन: जांचकर रिपोर्ट देने कहा गया है। रायगढ़ में 6 शिकायत मिली थी जिसमें कोई भी शिकायत सही नहीं पाई गई। रायपुर जिले में सर्वाधिक 53 शिकायत प्राप्त हुई। जिसमें 38 जांच में सही पाई गई। इस मामले में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा उपसंभाग बिलाईगढ़ 25 शिकायतें सही पाई गई है।

कई अफसरों-इंजीनियरों के खिलाफ एफआईआर

अनुविभागीय अधिकारी व उपअभियंता आरईएस के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। तथा उन्हें निलंबित कर मामला न्यायालय में दायर किया गया है।

देवभोग में 19 सड़कों में से 6 कार्यों की जांच समिति द्वारा की गई है। इनमें से दो संतोषप्रद पाए गए। एवं तीन कार्यों में मूल्यांकन कम पाया गया। एक में जनपद सीईओ को राशि वसूली के लिए निर्देशित किया गया है। ग्रामीण यांत्रिकी सेवा की 9 सड़कों की शिकायत सही पाई गई। इसमें कार्यपालन अभियंता एवं उपभियंता के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। मामला विचाराधीन है। कबीरधाम में 8 में से 4 शिकायतें सही पाई। इनमें गोरखपुर कला के सरपंच को धारा 39 के तहत निलंबित कर दिया गया है। प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है। सचिव को निलंबित किया गया है।

ग्राम रोजगार सहायक को बर्खास्त कर दिया गया है। ग्राम पंचायत दलदली के सरपंच, सचिव तथा उपअभियंता को नोटिस जारी किया गया है। कोरिया में 10 में से एक शिकायत पर जांच प्रक्रियाधीन है। तथा एक शिकायत सही पाई गई है। जिसमें संबंधित निर्माण एजेंसी को नोटिस जारी किया गया है।

रविवि के स्नातक पाठ्यक्रम में बदलाव

कॉलेजों को नहीं मिली है जानकारी

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 29 जुलाई। रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की स्नातक स्तर के सिलेबस में बदलाव करने का निर्णय लिया गया है। बताया जा रहा है कि राजभवन की मंजरी मिलने के बाद बीए, बी कॉम और बीएससी के पाठ्यक्रम में व्यापक फेरबदल किया गया है। खास बात यह है कि पाठ्यक्रम में बदलाव की जानकारी अभी तक कॉलेजों में नहीं पहुंची है।

रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय का नया शिक्षा सत्र शुरू हो गया है। कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया खत्म हो गई है और पढ़ाई भी शुरू हो गई है। इस बीच विवि प्रशासन ने स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में बदलाव कर दिया है। लेकिन सत्र शुरू हुए एक महीने का समय बीत चुका है। इसके बावजूद नए सिलेबस का अता पता नहीं है। कॉलेजों में अभी भी पुराने पाठ्यक्रम पढ़ाई की जा रही है।

कुलाधिपति ने हाल ही में विश्वविद्यालय के नए पाठ्यक्रम को मंजूरी दी है। विवि ने नए पाठ्यक्रम को मंजूरी मिलने के बाद इसे छपवाने के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि बी ए और बी कॉम के सिलेबस छपकर तैयार है। जबकि बीएससी का सिलेबस को छपने में कुछ दिन का समय और लग सकता है। बी ए, बी कॉम का नया सिलेबस छपने के बावजूद कॉलेजों तक नहीं पहुंच पाया है। बाजार में भी कुछ ही स्थानों पर सिलेबस उपलब्ध है। जिसकी वजह से छात्रों को परेशान हो रही है।

विवि के अधिकारियों का कहना है कि कॉलेजों को नए सिलेबस की जानकारी दे दी गई है। सिलेबस में बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं किया गया है। कई सालों से पुराने पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाई करवाई जा रही थी। लिहाजा पाठ्यक्रम में मामूली फेरबदल कर कुछ नए पाठों को शामिल किया गया है।

उल्लेखनीय है कि विवि के स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में 3 साल बाद बदलाव किया गया है। जानकारों का कहना है कि पाठ्यक्रम को हर साल संशोधित किया जाना चाहिए। ताकि छात्र नई जानकारियों के साथ अपने आप को अपडेट कर सके।

सूचना आयोग के आदेश का भी पालन नहीं

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 29 जुलाई। सरकारी विभाग सूचना के अधिकार कानून के पालन में ढिलाई तो बरत ही रहे हैं सूचना आयोग के आदेशों का भी पालन नहीं कर रहे। आयोग ने अपनी हाल में ही विधानसभा में पेश की रिपोर्ट में यह भी कहा है कि आयोग द्वारा दिए गए दंड की जानकारी संबंधित जनसूचना अधिकारी की सेवा पुस्तिका में दर्ज होनी चाहिए।

सूचना आयोग ने अपनी रिपोर्ट में सूचना के अधिकार कानून के क्रियान्वयन के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। आयोग ने कहा है कि आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर शासन द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रतिवेदन में होना चाहिए। आयोग ने शासन से अनुरोध किया है कि इस साल के सुझावों के साथ-साथ पूर्व के लंबित सुझावों पर शीघ्र कार्रवाई की जाकर आयोग को भी इससे अवगत कराया जाए। आयोग ने सुझाव दिया है कि सभी विभागों में पोस्टल आर्डर के रूप में शुल्क मान्य किया जाना चाहिए। केन्द्र शासन और कई राज्यों ने ऐसी व्यवस्था की है।

आयोग में प्राप्त अपील के मामलों में यह देखा गया है कि अपीलार्थी को जन सूचना अधिकारी द्वारा अधूरी तथा भ्रामक जानकारी देने तथा जानकारी नहीं देने पर प्रस्तुत की जाने वाली प्रथम अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई में सुधार की जरूरत है। इस संबंध में शासन द्वारा विभाग प्रमुखों को निर्देश भी जारी किए गए हैं। फिर भी कई विभाग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। विभागों में रिकार्ड भी व्यवस्थित ढंग से नहीं रखा जा रहा है। जिससे आवेदकों को जानकारी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। सभी विभागों को रिकार्ड व्यवस्थित रखने तथा इस हेतु उत्तरदायित्व निर्धारित करने के निर्देश भी प्रसारित किया जाना चाहिए।

विभागों की लापरवाही से आयोग दुखी, कई सुझाव

आयोग ने कहा है कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में इस कानून का व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाना चाहिए। आदिवासी क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषा में सूचना के अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करने की भी पहल होनी चाहिए। आयोग के निर्देशों के बावजूद विभागों द्वारा कानून के तहत जानकारी वेबसाइट पर अपडेट नहीं की जा रही है। तत् संबंध में सभी विभागों को पुन: निर्देश जारी किया जाना चाहिए। आयोग में प्राप्त अपील एवं शिकायत के मामलों में आयोग द्वारा पारित आदेशों का पालन विभागों द्वारा समय सीमा में नहीं किया जा रहा है। आयोग ने इसे गंभीरता से लिया है। शासन से अपेक्षा की गई है कि इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश जारी कर आदेशों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए। जिन मामलों में आयोग द्वारा शास्ति अधिरोपित की जाती है उनमें संबंधित अधिकारियों द्वारा शीघ्र जमा कराने की व्यवस्था विभाग प्रमुखों को दिए जाए।

आयोग ने अपने सुझाव में कहा है कि कई विभाग आवेदन के साथ दी जाने वाली राशि नगद के रूप में जमा करने में आनाकानी करते हैं। जिससे आवेदकों को व्यर्थ ही परेशान होना पड़ता है। शासन विभागों को यह निर्देश जारी करे कि सभी दफ्तरों में नगद राशि लेने के लिए रसीद बुक अनिवार्य रूप से रखी जाए। कानून के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मानिटरिंग कमेटी का गठन होना चाहिए जिसमें डीजीपी, जीएडी, पंचायत, राजस्व, नगरीय प्रशासन, लोक निर्माण, वन तथा आदिम जाति कल्याण विभाग के सचिव सदस्य हों।

छत्तीसगढ़ का प्रतिबिम्ब होगा नया रायपुर : रमन

रायपुर, 29 जुलाई। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि नये रायपुर शहर का विकास इस परिकल्पना के साथ किया जा रहा है कि यह सुव्यवस्थित शहर छत्तीसगढ़ जैसे प्रगतिशील राज्य का प्रतिबिम्ब होगा। इसमें छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक सुन्दरता की भी झलक मिलेगी।

नये रायपुर के निर्माण के लिए दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहरों और भारत के चंडीगढ़, नई दिल्ली और गांधीनगर जैसे नियोजित शहरों का अध्ययन कर उनकी खूबियों को भी कार्ययोजना में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा के पक्ष और विपक्ष के सदस्यों को नया रायपुर परियोजना क्षेत्र में तेजी से चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का अवलोकन कराते हुए यह बात कही। विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक और नेता प्रतिपक्ष रविन्द्र चौबे सहित प्रदेश सरकार के मंत्रिगण और नया रायपुर विकास प्राधिकरण तथा अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उनके साथ थे। मुख्यमंत्री ने विधायकों के साथ वहां वृक्षारोपण भी किया। मुख्यमंत्री ने सभी विधायकों को ग्राम परसदा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भी अवलोकन कराया। मुख्यमंत्री के साथ सभी विधायकों ने नया रायपुर में निर्माणाधीन केपिटल कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत मंत्रालय भवन और विभागाध्यक्ष भवन के निर्माण कार्यों को भी देखा। उन्होंने छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा नया रायपुर परियोजना क्षेत्र में बनवाए जा रहे आवासीय भवनों का अवलोकन करने के बाद ग्राम उपरवारा में छत्तीसगढ़ की परम्परागत कला-संस्कृति पर आधारित 'पुरखौती मुक्तांगन' का भी अवलोकन किया।

अजाक स्कूलों के 54 प्राचाय इधर से उधर

छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायपुर, 29 जुलाई। आदिम जाति कल्याण विभाग स्कूलों के 54 प्राचार्यों को इधर से उधर किया गया है। इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

सूची निम्नानुसार है:-अतुल अलोणी रायपुर से बेन्दकुरा गरियाबंद, श्रीमती अग्नेसिया कुजूर कोरबा से छुरी कटघोरा, एन जी एस दास राजनांदगांव से आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास सहायक, श्रीमती सीमा भारद्वाज कोरबा से गोपालपुर कटघोरा, श्रीमती संगीता साव कोरबा से पोड़ीउपरोड़ा, विनोद कुमार गुप्ता जशपुर से जशपुर, आर.के. शिवरे दुर्ग से भर्रीटोला डौंडी, श्रीमती शारदा भदौरिया राजनांदगांव से बांधाबाजार, श्रीमती रंजनी गुप्ता कोरबा से खरसिया, रामरूचि कांकेर से करिहा चारामा, ज्ञान प्रकाश द्विवेदी कांकेर से रायपुर, डी आर ध्रुव बस्तर से दुगली, संजय सिंह राजनांदगांव से परसाटोला, श्रीमती प्रभा ठाकुर धमतरी से नेलसनार बीजापुर, श्रीमती सुशीला भिंज रायगढ़ से बरियो राजपुर, एम आर भूआर्य राजनांदगांव से चिखलाकसा, आर के मिश्रा दुर्ग से मुंडागांव बस्तर, श्रीमती आर राठिया रायगढ़ से हाटी, आर के गोड़ जशपुर से उरबा, के के सोनवानी रायपुर से चपका बस्तर, एस.के. शर्मा कोरिया से मनेन्द्रगढ़, बी पी राय जशपुर से बालेंगा बस्तर, तेजकुमार केरकट्टा जशपुर कांसाबेल, श्रीलाल वर्मा बस्तर से केशकाल, अनिल कुमार वर्मा बिलासपुर से मरवाही, चोन्हास लकड़ा जशपुर से इच्छापुर बस्तर, रामराज भास्कर कोरिया से करवावण्ड, खिंगल लाल बिसेन कांकेर से सांकरा नगरी, शिवजी बस्तर से तोकापाल, एल टोप्पो सरगुजा से विश्रामपुरी बडेराजपुर, राजनारायण प्रसाद सरगुजा से सिंधमा राजपुर, लखनलाल सोनकर राजपुर से कुन्दीकला राजपुर, अर्जुन राम देवांगन राजनांदगांव से अंबागढ़ चौकी, शंकर लाल नायक राजनांदगांव से दनगढ़ मोहला, विनीत सिंह कोरिया से सोनहत, पी एस बद्दन दुर्ग से डौंडी, रिनी दुबे कोरबा से गोढ़ी, एम आर कमल कोरबा से बिंझरा, आर पी शर्मा बस्तर से पेंड्रा, राजेन्द्र त्रिपाठी बिलासपुर से लालपुर, एच एन सोनी बिलासपुर से केवची, श्रीमती जयश्री कोरबा से घुडदेवा, श्रीमती प्यरी टोप्पो रायगढ़ से चंद्रशेखरपुर, कृष्ण मुरारी यादव रायगढ़ से बाकारूमा, सीबी सिंह बस्तर से परचनपाल, राजकुमार तिवारी रायगढ़ से कटघोरा, जे पी श्रीवास्तव कोरबा से रामपुर, श्रीमती भावना सिंह राजनांदगांव से रायपुर, व्ही के सिंह रायगढ़ धरमजयगढ़, टीकाराम पटेल रायगढ़ से लोहण्डीगुडा, गंगासिंह कंवर कोरबा फरसगांव, आर पी दास कोरबा से कोंडागांव, श्रीमती प्रतिभा मण्डलोई कोरबा से बस्तर।

केबल व्यवसाय को मनोरंजन कर से मुक्त करने की मांग

रायपुर, 29 जुलाई। वाणिज्यिक कर मंत्री अमर अग्रवाल से छत्तीसगढ़ केबल आपरेटर संघ के पदाधिकारियों ने मुलाकात कर केबल व्यवसाय को मनोरंजन कर से मुक्त करने की मांग की।